

पत्रांक:-स-२५/डीडीएफएस-स्कूल-14(अमरोहा)/२71

दिनांक:२५-०७-२०१४

सेवा में,

अध्यक्ष
बी०आर० फाउण्डेशन
बाल किशन दास भवन ,
९६ नवयुग मार्केट ,
गाजियाबाद ।

विषय: - बी०आर०फाउण्डेशन (नार्दन इण्डिया पब्लिक स्कूल)ग्राम जलालपुर कला, गजरौला तहसील धनौरा जनपद अमरोहा हेतु अनन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

- सन्दर्भ:** 1- मुख्य सचिव उ०प्र० शासन शिक्षा (६) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1528/79-6-08 दिनांक 20-7-2009 ।
- 2- मा० सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक: 13-4-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ०प्र० शासन, शिक्षा(७) अनुभाग का शासनादेश संख्या:1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक: 20-7-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या ।
- 3- आपका ऑन लाइन UID No. 2014/1857/amh/amroha/24/DD के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित अपने ऑन लाइन प्रार्थना पत्र दिनांक 19-07-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित एजुकेशनल भवन हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत स्कूल को संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ महोदय के पत्र संख्या: स-04/जे०डी०एफएस/लखनऊ/2013(अमरोहा) दिनांक: 25-11-2013 के द्वारा भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी गजरौला से कराया गया तथा अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या दिनांक: 19-07-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया आख्या निम्नवत् है :-
मान्यता-उक्त स्कूल की नवीन मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

1- भवन की संरचना :-

स्कूल भवन केवल भूतल तल तथा प्रथम तल पर निर्मित हैं।

जिसका कुल प्लॉट एरिया-15010.00वर्गमीटर।

भूतल कवर्ड एरिया-2169.42 वर्गमीटर।

प्रथम तल कवर्ड एरिया-2169.42वर्गमीटर।

भवन की ऊँचाई-07.70 मीटर।

2- भवन की ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था :-

1-पहुंच मार्ग:-12.00 मीटर से अधिक चौड़ाई का रोड उपलब्ध है।

2-प्रवेश द्वार-09.00 मीटर।

कृ०प०प०.....

7/3
G.F.O. 24/3
MBD

3-सैट बैक-

अग्रभाग-15 मीटर।

पार्श्व I-06 मीटर।

पार्श्व II-06 मीटर।

पृष्ठ भाग मे-06 मीटर।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत स्कूल भवन में प्रथम तल से निकास हेतु 01.50 मीटर चौड़ाई के 03 स्टेयर केस उपलब्ध है जिनकी ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्था :-

1-प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन हेतु 09 अदद ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 मानक के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित किये गये है।

2-अग्निशमन उपकरणो के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया।

3-अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिलिंग नियमानुसार कराया जायेगा।

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:-

1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2-स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

3-विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर मे कदापि नहीं करेंगे।

4-स्कूल में भोजन/मिड-डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

5-वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष उपकरणो का निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार मे जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर उनकी कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति मे निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन बी0आर0फाउण्डेशन (नार्दन इण्डिया पब्लिक स्कूल)ग्राम जलालपुर कला, गजरौला तहसील धनौरा जनपद अमरोहा को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(वाई0बी0सी0) (आई0एस0 2190)
प्रमुखी अग्निशमन, अग्निशमन सर्विस/
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि:

1-संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-अग्निशमन अधिकारी गजरौला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2023/93173/AMR/AMROHA/773/CFO**

दिनांक: **21-08-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **B.R. Foundation, Northern India Public School** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO 211-212, NH-24,,VILL. JAJALPUR KALAN GAJRAULA,GAJRAULA** तहसील - **DHANAURA** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Northern India Public School | 2 | 0 | 7.70 mt. |

तथा प्लॉट एरिया **15010 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **B.R. Foundation, Northern India Public School** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **27-08-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **sh Yogendra Kumar verma , 9927509064** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-08-2023** से **28-08-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANIL KUMAR SINGH)

[FDCD237394D8AC9C11B0AC3847DA0B6EAAC2D64A]

29-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **29-08-2023**

स्थान : **AMROHA**